

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा।
निविदा सं. 2 / 2024

इस न्यायमण्डल के क्रय समिति द्वारा जिला स्तरीय कम्प्यूटर कमिटी द्वारा अनुशंसा के आलोक में इस न्यायमण्डल हेतु प्रोजेक्टर स्क्रीन एवं स्टैण्ड का क्रय किया जाना है, जिसकी सूची तालिकानुसार निम्नवत् है:-

Sl. No.	Item Name	Quantity
1	<p>PROJECTOR FOR COURT COMPLEX Specifications VC & Projectors Technology-----LCD/DLP Projection Method-----Front & Rear Both Native Resolution---1024x768(XGA)366X768 or Better Projectors-----3200 Lumens or more Zoom---Manual Zoom(X1.2X)% Throw ratio---1.37.1 to 1.80.1 Aspect Ratio---4.3 Key Stone Correction---Automatic Minimum Life of Projection Lamp---5000Hrs in Normal Mode Counter---Lamp Hour Counter (in built) Video Capability---PAL/NTSC PORTS---HDMI with MHL Support, DVI Port, Audio in, Audio out, Video in, ANALOG RGB in, ANALOG RGB out and Storage Media Port (USB Type A) Connectivity---LAN WI-FI Noise Level---Up to 35 Db (Slip Mode up to 38 Db Normal Mode) Power Supply---210 Volt-240 Volt, Other Features remote control, Speaker, Auto Lens of, Energy Saving, Compliance of prescribed standard. OEM---Orginal Equipment Manufactured (OEM) Product Warranty Period---5 Years on Site</p>	1
	<p>SCREEN FOR COURT COMPLEX Size (Feet)--- 8 x 6 or more Type--- Map (Calender)/Wall/Stand Mount (Tripod Type) Format---4.3 Actual Screen Size---65X65 Inch or More Material--High Gain Fabric Treated MATTE Low relaxation wide angle anti UV coating</p>	1

उक्त सामानों की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित एवं निबंधित प्रतिष्ठानों/आपूर्तिकर्ताओं से अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में दिनांक 11.03.2024 तक मुहरबंद निविदा निबंधित डाक से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सारण, छपरा के पता पर या स्वयं उपस्थित होकर उक्त कार्यालय अवधि (10.00 AM से 5.00 PM) में अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें

1. निविदा में उल्लेखित दर बिहार वित्तीय नियम के तहत।
2. प्रतिष्ठानों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. प्रतिष्ठानों/आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति के समय तीन प्रति में बिल जमा करना होगा।
4. अधोहस्ताक्षरी को किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार होगा।
5. प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ता के पास पैन नम्बर एवं जी.एस.टी. नम्बर दोनों का होना अनिवार्य है।

6. राशि का भुगतान केवल चेक के द्वारा किया जायेगा।

7. प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ता सामानों की आपूर्ति के उपरांत सामानों की गुणवत्ता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे।

नोट:—निविदा व्यवहार न्यायालय, छपरा में अवस्थित ए.डी.आर. भवन के सभा कक्ष में क्रय समिति के समक्ष दिनांक 12.03.2024 को 5:00 बजे शाम को खोली जायेगी। प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ता स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से इसमें शामिल होंगे। निविदा आमंत्रण की प्रति व्यवहार न्यायालय, सारण, छपरा के शासकीय वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/saran पर उपलब्ध है।

Sushil Kumar Tripathi

द्वितीय अपरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सारण, छपरा

29.02.2024